आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक १९४१से नियम १२९)

आदेश पत्रक सं0 ..... से ..... तक

जिला ..... सं0 **13 / 2024–25**.....सन् 2024–25

केस का प्रकारः–**विविधवाद**

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
23-05-25	प्रस्तुत अभिलेख संख्या–13 / 2024–25 का संधारण आवेदक शशि कुमार साव, पिता–सुखदेव साव एवं जायत्री देवी, पति–शत्रुधन हजाम, साकिन नवादा, थाना–ईटखोरी एवं पवन कुमार सिंह पिता–स्व0 प्रसादी सिंह ग्राम–सोनिया, अशोक कुमार सिंह पिता–श्री महेश्वर सिंह ग्राम–ईटखोरी एवं नीरज कुमार सिन्हा पिता–स्व0 बीरेन्द्र किशोर प्रसाद ग्राम–एरकी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में संधारित किया गया है। आवेदिका जायत्री देवी, पति–शत्रुधन हजाम के द्वारा आवेदित किया गया है कि मौजा–झखरा, खाता न0–11, प्लॉट न0–443 रकवा– 10.¼ डी0 में मकान बनाना चाहती हूँ लेकिन दिनांक–15.05.2025 को पवन कुमार सिंह, पिता–स्व0 प्रसादी सिंह, ग्राम–सौनिया थाना–ईटखोरी ने मुझे बैठक में बुलाकर धमकी देते हुए बोला कि तुम उक्त जमीन में किसी भी तरह का निर्माण कार्य करोगी तो जान मार के फेक देंगें तथा वो बोल रहा था कि ये जमीन मेरा है इसमे मैं बोली कि ये जमीन मेरा खरीदगी केवाला है लेकिन मानने के लिए तैयार नही है। वो उदंड किस्म का व्यक्ति है कभी भी जानमाल का क्षति पहुँचा सकता है। आवेदिका द्वारा कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक शशि कुमार साव, पिता–सुखदेव साव द्वारा आवेदित है कि मेरी माँ मुन्ना देवी के नाम से मौजा झखरा, खाता न0–11, प्लॉट न0–443 रकवा 6.5 डी0 है जो बीते करीब चार वर्ष पूर्व उक्त जमीन में मेरा बाउन्ड्री तथा एक रूम एसबेस्टस सीट का बना हुआ था जो कि दिनांक–13.05.2025 को कुछ ग्रामीणो से मुझे जानकारी मिला कि पवन कुमार सिंह, पिता–स्व0 प्रसादी सिंह, सा0–सौनिया ने मेरा बना हुआ रूम	

3

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश

तथा बाउन्ड्री को तोड दिया है तब मै अपना जमीन पर आकर देखें उसके बाद मै पवन कुमार सिंह से बोले कि तुम मेरा जमीन में बाउन्ड्री तथा रूम को क्यों तोड दिया तब पवन कुमार सिंह ने मुझे गन्दी–गन्दी गाली–गलौज करते हुए मारने के लिए दौडे तब मै किसी तरह से जान बचाकर भागे तथा वो धमकी देते हुए बोल रहा था कि तुम इस जमीन पर चढोगे तो जान मार के फेक देगें। वे उदंड किस्म के व्यक्ति है। आवेदक द्वारा कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक पवन कुमार सिंह पिता–स्व0 प्रसादी सिंह वो अशोक कुमार सिंह पिता–महेश्वर सिंह एवं नीरज कुमार सिन्हा पिता–स्व0 वीरेन्द्र किशोर प्रसाद द्वारा भी आवेदन दिया गया है, जिसमें आवेदित किया गया है कि खाता न0–11 प्लॉट न0–443 रकवा–40.5 डी0 भूमि पूर्व क्रेता दरबारी लाल की पौत्री मंजू श्रीवास्तव से डीड न0–2024/CHAT/430/BK1/421 से क्रय किया गया है। क्रय की गई भूमि के अनुसार पक्का चाहरदिवारी का निर्माण कराया गया था, जिसे विपक्षी शशि कुमार साव एवं अन्य चार व्यक्तियों के द्वारा JCB लगाकर तोड़ दिया गया एवं कब्जा करने लगे। हमलोग के द्वारा जब यह अनैतिक कार्य करने से रोका गया तो वे लोग झगडा–झंझट पर उतारू हो गये। आवेदक द्वारा उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें तथा संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मॉग करें।

अभिलेख दिनांक–26.5.25 को उपस्थापित करें।

23.5.25

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

...की गई कार्रवाई ... की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
-05-25	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दिनांक–19-6-25 को रखें। 26-5-25 अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	
19-06-25	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो निम्नवत् हैः– ➢ मौजा–झखरा के थाना न0–31 के अन्तर्गत पंजी II के पृष्ठ संख्या–21/5 पर खाता संख्या–11, प्लॉट न0–443 रकवा–6.5 डी0 भूमि दा0 खा0 केस संख्या–01/2021–22 के अनुसार श्रीमति मुन्ना सुखदेव साव, पति–श्री सुखदेव साव के नाम पर जमाबंदी दर्ज है जिसका केवाला संख्या–626 दिनांक–02.03.2021 है। ➢ ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या–22/5 पर खाता संख्या–11 प्लॉट न0–443 रकवा–10.25 डी0 भूमि जायत्री देवी पति–श्री शत्रुधन हजाम मौजा–झखरा दर्ज है दा0 खा0 केस संख्या–02/2021–22 के अनुसार दर्ज है। केवाला संख्या–625 दिनांक–02.03.2021 दर्ज है। ➢ उक्त दोनों केवाला की भूमि विक्रेता सुरेश सिंह पिता–स्व0 विशेश्वर सिंह उर्फ विशेश्वर पाण्डेय के द्वारा किया गया है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर दोनों आवेदकों द्वारा भवन निर्माण कार्य किया जा रहा था जिस पर आवेदक पवन कुमार सिंह पिता–स्व0 प्रसादी सिंह वो अशोक कुमार सिंह पिता–श्री महेश्वर सिंह एवं नीरज कुमार सिन्हा पिता–स्व0 बीरेन्द्र किशोर प्रसाद द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया है, जिसमें आवेदित किया गया है कि खाता न0–11 प्लॉट न0–443 रकवा–40.5 डी0 भूमि पूर्व क्रेता	

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश सहि

दरबारी लाल की पौत्री मंजू श्रीवास्तव से डीड न0–2024/CHAT/430/BK1/421 से क्रय किया गया है। क्रय की गई भूमि के अनुसार पक्का चारदिवारी का निर्माण कराया गया था जिसे विपक्षी शशि कुमार साव अन्य चार व्यक्तियों के द्वारा JCB द्वारा तोड़ दिया गया।

➤ स्थल जाँच में पाया कि उक्त भूमि पर शशि कुमार साव एवं संतोष कुमार ठाकुर के द्वारा मकान निर्माण हेतु नींव/दावा कोड़ा जा रहा था जिसे पवन कुमार सिंह एवं अन्य के द्वारा रोका गया है।

अभिलेख दिनांक–03-07-25 को सुनवाई हेतु रखें।

19.6.25

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

कार्रवाई की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
07-25	अभिलेख उपस्थापित। निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित है। उभय पक्ष का बहस सुना एवं उभय पक्ष के द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया गया। बहस एवं समर्पित कागजातों से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते है– ➤ मौजा–झखरा के थाना न0–31 के अन्तर्गत पंजी II के पृष्ठ संख्या–21/5 पर खाता संख्या–11, प्लॉट न0–443 रकवा–6.5 डी0 भूमि दा0 खा0 केस संख्या–01/2021–22 के अनुसार श्रीमति मुन्ना सुखदेव साव पति–साव के नाम पर जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला संख्या–626 दिनांक–02.03.2021 से हासिल है। ➤ मौजा–झखरा के थाना न0–31 के अन्तर्गत ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या–22/5 पर खाता संख्या–11 प्लॉट न0–443 रकवा–10.25 डी0 भूमि दा0 खा0 केस संख्या–02/2021–22 के अनुसार जायंत्री देवी पति–श्री शत्रुधन हजाम के नाम पर जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला संख्या–625 दिनांक–02.03.2021 से हासिल है। ➤ उक्त दोनो जमाबन्दी रैयत को सुरेश सिंह पिता–स्व0 विशेश्वर सिंह उर्फ विशेश्वर पाण्डेय के द्वारा भूमि बिक्री किया गया है। ➤ मौजा–झखरा थाना न0–31, खाता न0–11, प्लॉट न0–443 का कुल रकवा–1.62 ए0 है जिसमे से 81 डी0 भूमि खतियानी रैयत विशेश्वर पाण्डेय, पिता–हरलाल पाण्डेय द्वारा दरबारी लाल, पिता रंगलाल को वर्ष–1931 में केवाला संख्या–990 से बिक्री की गई है अर्थात खाता–11, प्लॉट न0–443 में दोनो रैयत 81–81 डी0 के हिस्सेदार है जिसे दोनो पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। ➤ वर्त्तमान में दोनो पक्षो के बीच विवाद चौहद्दी को लेकर है। द्वितीय पक्ष (पवन सिंह एवं अन्य) का कथन है कि खतियानी रैयत के वंशज श्री सुरेश सिंह के द्वारा श्रीमति मुन्ना सुखदेव साव पति–श्री सुखदेव साव एवं श्रीमति जायत्री देवी पति–श्री शत्रुधन हजाम को उनके हिस्से की भूमि बेच दी गई जिसका बिना जॉच और स्थल निरीक्षण के तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज कर दिया गया, जो गलत है। ➤ द्वितीय पक्ष (पवन सिंह एवं अन्य) के द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में अंचल अधिकारी, ईटखोरी के न्यायालय में दायर वाद संख्या–67/80–81 में अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.04.1982 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया गया	

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्र टिप्पणी आदेश सहि तिथि
03-07-25		

है जिसमें तारकेश्वर प्रासाद, पिता–दरबारी लाल, ग्राम–बलिया, थाना–ईटखोरी, जिला–हजारीबाग एवं विशेश्वर पाण्डेय के बीच खाता न0–11, प्लॉट न0–443, रकवा–1.62 ए0 मद्ये रकवा–81डी0 प्लॉट न0–220, कुल रकवा–1.79 ए0 मद्ये रकवा–1.00 ए0 एवं प्लॉट न0–411 कुल रकवा–51 डी0 मद्ये रकवा–30 डी0 कुल जमा रकवा–2.11 ए0 से संबंधित दायर वाद में सुलहनामा के आधार पर अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा दिनांक–17.04.1980 को आदेश पारित किया है कि " दोनो पक्ष लिखित सुलहनामा आवेदन दिया है। सुलहनामा में विशेश्वर पाण्डेय ने कहा और एकरार किया है कि मैं 1931 ई0 में खाता–11 प्लॉट न0–443 1.62 डी0 मद्ये 0.81 डी0 प्लॉट न0–220, रकवा–1.79 डी0 मद्ये 1.00 डी0 वो प्लॉट न0–411, रकवा–0.51 डी0 मद्ये 0.30 डी0 जमा रकवा–2.11 डी0 बिक्री किया है। जिसकी चौहद्दी 443 का उ0–खेदन कलाल, द0–दुलार सिंह, पु0–.मौजा बलिया, प0–नाला, प्लॉट–220 का चौहद्दी उ0–गुलाब मियॉ, द0–दुलार सिंह, पु0–नाला, प0–रास्ता, प्लॉट 411 का चौहद्दी उ0–नीज, द0–यादव पाण्डेय वगै0, पु0–रास्ता, प0–बकास्त नीज केवाला में बायें है। द्वितीय पक्ष ये एकरार करते है कि प्लॉट 443 पूर्ण रकवा–1.62 डी0 मद्ये रकवा–0.81 डी0 में चौहद्दी लिखा गया है जो जानिब उत्तर है। वो गलती से लिखा गया है। जबकि इस प्लॉट में जानिब दक्षिण होना चाहिए था जबकि बेचने के समय खरीदार से जानिब दक्षिण तय हुआ था आपसी तालमेल होने पर तारकेश्वर प्रसाद को 443 में जानिब उत्तर को रद्द कर जानिब दक्षिण दिया गया है। प्लॉट 220 का रकवा–1.79 डी0 मद्ये रकवा–1.00 डी0 जिसकी चौहद्दी उ0–गुलाब मियॉ, द0–दुलार सिंह पु0– निज खरीदार, प0–रास्ता वो प्लॉट 411 कुल रकवा–0.51 डी0 मद्ये रकवा–0.30 डी0 जिसका चौहद्दी केवाला के अनुसार पाया गया है। अतः मैं दोनो पक्ष के आपसी सहमति के आधार पर तारकेश्वर प्रसाद, पिता दरबारी लाल वो विशेश्वर पाण्डेय पिता हरलरल पाण्डेय मौजा–झखरा थाना ईटखोरी जिसका थाना ना0–31 में बकास्त खाता 11 प्लॉट 443 रकवा–0.81 डी0 प्लॉट 220 रकवा 1.00 डी0 प्लॉट 411 रकवा 0.30 डी0 जमा कुल रकवा–2.11 डी0 दोनो की आपसी सहमति के सुलहनामा के आधार पर इस अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।"

उपरोक्त विविधवाद संख्या–67/80–81 में पारित आदेश दिनांक–17.4.80 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम–बलिया, थाना–ईटखोरी, खाता न0–11, प्लॉट न0–443, रकवा–1.62 ए0 मद्ये रकवा–81डी0 चौहद्दी उ0–खेदन कलाल, द0–दुलार सिंह, पु0–मौजा बलिया, प0–नाला है और आपसी सुलहनामा के आधार पर प्लॉट 443 में उत्तर को रद्द कर दक्षिण दिया गया है।

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाईके बारे में टिप्पणी आदेश
8-07-25	➢ प्रथम पक्ष शशि कुमार साव, पिता–सुखदेव साव एवं जायत्री देवी, पति–शत्रुधन हजाम द्वारा द्वितीय पक्ष के समर्पित विविधवाद संख्या–67/80–81 की सत्यापित प्रति को फर्जी एवं बनावटी बताया गया जिसके विरूद्ध द्वितीय पक्ष के द्वारा विविधवाद संख्या–67/80–81 पूर्ण सत्य है से संबंधित शपथपत्र संख्या–6344, दिनांक–02.07.2025 समर्पित किया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उक्त के आलोक में उभय पक्ष के द्वारा किये गये बहस एवं समर्पित कागजातों के आधार पर द्वितीय पक्ष (पवन सिंह एवं अन्य) के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है तथा मौजा–झखरा के थाना न0–31 के अन्तर्गत पंजी II के पृष्ठ संख्या–21/5 पर दा0 खा0 केस संख्या–01/2021–22 से खाता संख्या–11, प्लॉट न0–443 रकवा–6.5 डी0 भूमि पर श्रीमति मुन्ना सुखदेव साव पति–साव के नाम एवं मौजा–झखरा के थाना न0–31 के अन्तर्गत ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या–22/5 पर दा0 खा0 केस संख्या–02/2021–22 से खाता संख्या–11 प्लॉट न0–443 रकवा–10.25 डी0 भूमि पर जायत्री देवी पति–श्री शत्रुधन हजाम के नाम पर जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेजें। असंतुष्ट पक्ष मामले को अपीलीय न्यायालय में ले जा सकते है। लेखापित एवं संशोधित। 8.7.25 अंचल अधिकारी, ईटखोरी। 8.7.25 अंचल अधिकारी, ईटखोरी।	

Digitally signed by Savita
Date: 2025.07.08 14:03:13 +05:30
Location: 10.93.137.42